"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2018 — फाल्गुन 30, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक 2837/डी-71/21-अ/स्थापना/छ. ग./18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधि और विधायी कार्य विभाग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 14 के उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(5) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सहायक ग्रेड-दो से सहायक ग्रेड-एक एवं सहायक ग्रेड-एक से अनुभाग अधिकारी की पदोन्नति के संबंध में, अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 एवं 5 के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित न्यूनतम अनुभव की कालावधि में, केवल कैलेण्डर वर्ष 2018 के लिये, अधिकतम एक वर्ष की छूट दी जायेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2018

क्रमांक 2837/डी-71/21-अ/स्थापना/छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-3-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st March 2018

NOTIFICATION

No. 2837/D-71/XXI-A/Estt./C.G./18. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs Department Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1983, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After sub-rule (4) of rule 14, the following shall be added, namely :-

"(5) Notwithstanding anything contained in these rules, in respect of promotion to the Post of Assistant Grade-II to Assistant Grade-I and Assistant Grade-I to Section Officer, the minimum experience period as mentioned in Column (4) of serial number 1 and 5 of Schedule-IV, shall be relaxable upto maximum one year for calendar year 2018 only."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
UMESH KUMAR KATIYA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.